<u>कार्यालय : कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण (आत्मा), साहेबगंज।</u>

<u>किसान समृद्धि योजना</u>

किसान भाईयों / बहनों को सूचित किया जाता है कि **"किसान समृद्धि योजना"** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2024-25** में **90** प्रतिशत अनुदान पर **2 HP** (चलन्त) एवं **5 HP** (स्थिर) सतही सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पम्पसेट इकाई को व्यक्तिगत किसान / कृषक समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (**JSLPS** पंजीकृत) / Farmers Producer Organization (FPO)/Farmer Producer Company (FPC) / LAMPS/PACS के सदस्यों को दिया जाना है।

- उक्त योजना के लाभुकों का चयन **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर प्रखण्ड स्तर पर किया जायेगा।
- लाभुकों को आवेदन पत्र भरने के उपरान्त ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
- साथ ही उक्त योजना का कार्यान्वयन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।
- कृषकों द्वारा पूर्ण रूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र को वांछित सभी कागजात के साथ ऑनलाईन करना अनिवार्य है। ऑनलाईन कार्य आत्मा कार्यालय, साहेबगंज में किया जा रहा है।

➢ <u>आवेदक की पात्रता</u> –

- व्यक्तिगत किसान / कृषक समूह / FPO / FPC / LAMPS / PACS के सदस्य / शेयर होल्डर झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो।
- कृषक समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (**JSLPS** पंजीकृत) / **FPO** / **FPC** / **LAMPS** / **PACS** का पंजीकृत कार्यालय झारखण्ड राज्य में होना चाहिए।
- किसान / सदस्य / शेयर होल्डर की आयु **18** वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान / सदस्य / शेयर होल्डर के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही सदस्य पात्र होंगे।
- किसान / परिवार / समूह के सदस्य के पास जल श्रोत एवं कृषि योग्य जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए।
- आधार लिंक मोबाईल नं0 एवं राशन कार्ड होना चाहिए।

➢ <u>आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज</u> –

(क) व्यक्तिगत किसान को इस योजना के लिए निम्न दस्तावेज योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा –

1). जमीन का मालगुजारी रसीद।
2). वंशावली का शपथ पत्र / JRFRY से निबंधित किसान।
3). आधार कार्ड का फोटो कॉपी।
4). बैंक पासबुक का फोटो कॉपी।
5). आधार लिंक मोबाईल नं0 एवं राशन कार्ड।
6) ग्राम सभा का प्रस्ताव, जिसमें कृषकों के खुद का जमीन एवं जलश्रोत होने का प्रमाण हो।
7) जलश्रोत के साथ लाभुक का फोटोग्राफ्स।

(ख) SHGs / FPO / FPC / LAMPS / PACS के लिए निम्नलिखित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा –

1). संस्था पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
2). अध्यक्ष / सक्षम पदाधिकारी का आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाईल नं0।
3). यूजर ग्रुप के सदस्यों का आधार कार्ड।
4). जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस भूमि का मालगुजारी रसीद।
5). संस्था का बैंक खाता।

➢ **निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक इस योजना के पात्र नहीं होंगे** –

1). बटाईदार किसान।
2). अगर कोई किसान का परिवार में कोई संवैधानिक पद पर हो।
3). राज्य / केन्द्र सरकार के साथ–साथ पी0एस0यू0 और सरकारी स्वायत निकायों के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी।
4). डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर एकाउण्ट, आर्किटेक्ट एवं वकील जैसे प्रोफेसनल।
5). सरकारी कर्मी (चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर)।
6). कृषक समूह / **FPO / FPC / LAMPS / PACS** के सदस्य का अलग से आवेदन अगर समूह आवेदन कर रहा है और सदस्य का भी नाम आवेदन में है।
7). अन्य किसी विभाग / संस्था से समरूप सिंचाई योजना से आच्छादित लाभुक एवं उनके परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
8). काली सूची में दर्ज किसान उत्पादन समूह / किसान उत्पादन कम्पनी सहभागी समिति आदि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

विशेष जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी –सह– परियोजना निदेशक, आत्मा, साहेबगंज / उप परियोजना निदेशक, आत्मा, साहेबगंज / प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।

21/10/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
–सह–
परियोजना निदेशक, आत्मा,
साहेबगंज।

D:\20_Year_2024-25\4_Z\01_Let\08_JAN_SAMPARK\01_Let\02_K_S_Y\02_(a)_Let